भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3156
जिसका उत्तर गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को दिया जाना है

विधिक प्रतिनिधित्व से इनकार

3156 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनजातीय और महिला वादियों को अक्सर उस स्थिति में विधिक प्रतिनिधित्व से इनकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब उनका मामला उसी बार एसोसिएशन में पंजीकृत किसी अधिवक्ता के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध होता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसी स्थितियाँ विधिक सहायता के प्रावधानों की उपलब्धता के बावजूद न्याय तक पहुँच के अधिकार के हनन के समान है ;

(ग) क्या विधिक सेवा प्राधिकरणों के ढांचे के तहत संबंधित जिले या राज्य के बाहर से स्वतंत्र विधिक सहायता अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए कोई तंत्र मौजूद है ; और

(घ) ऐसी परिस्थितियों में सुभेद्य वादियों के लिए निष्पक्ष विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थी भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक

या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए । इसके अलावा, नालसा ने निवारक और रणनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्कीमें भी तैयार की हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है ।

नालसा को किसी पात्र व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करने से इनकार करने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है । हालांकि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अधीन व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं
2023-24	1,07,673	1,00,823	2,83,738
2024-25	1,29,402	1,28,440	3,16,151
2025-26 (जनवरी, 2026 तक)	1,22,198	1,21,986	3,41,473

ऐसी कोई रोक नहीं है कि एक अधिवक्ता को उसी बार एसोसिएशन से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पैनल में होना चाहिए । राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 में पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों के चयन की प्रक्रिया, पैनल वकीलों को हटाने की प्रक्रिया, सभी विधिक सेवा संस्थानों, अर्थात उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी), उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों (एचसीएलएससी), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए), जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुक विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) के भीतर निगरानी और परामर्श समितियों (एमएमसी) के गठन के माध्यम से विधिक सहायता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया गया है ।

उपरोक्त विनियमों के विनियम 7 (6) के अनुसार, "यदि विधिक सेवा संस्थान के सदस्य सचिव या सचिव पैनल वकील के माध्यम से विधिक सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लेते हैं, तो आवेदक द्वारा व्यक्त किए जाने पर पैनल वकील की पसंद पर विचार किया जा सकता है" । विनियम 8 (15) के अनुसार, "यदि कोई पैनल वकील किसी मामले से हटने का इच्छुक है, तो वह, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव को इसके कारणों को बताएगा और पैनल वकील को आदेश द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है" । विनियम 8(17) के अनुसार, "यदि पैनल वकील संतोषजनक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है या अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य और भावना के विपरीत कार्य किया है, तो विधिक सेवा संस्थान ऐसे वकील से मामले को वापस लेने और उसे पैनल से हटाने सहित उचित कदम उठाएगा" । उपरोक्त विनियमों के

विनियम 11(5) और 11(8) के अनुसार, एमएमसी प्रत्येक मामले की दिन-प्रतिदिन की प्रगति और उन मामलों के संबंध में अंतिम परिणामों (सफलता या विफलता) की निगरानी के लिए विधिक सहायता मामलों के लिए एक रजिस्टर बनाए रखेगी, जिनके लिए विधिक सहायता की अनुमति दी गई है । इस रजिस्टर की जांच हर महीने, यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव या अध्यक्ष द्वारा की जाती है और यदि मामले की प्रगति संतोषजनक नहीं है, तो समिति विधिक सेवा संस्थान को उचित कदम उठाने की सलाह दे सकती है ।

यह निरंतर अनुवर्ती तंत्र कमजोर वादकारियों को विधिक सेवाएं प्रदान करने में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है ।
